

## राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2015

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

### 1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2015-1 दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 के अध्याय-11 के समस्त उपबंध दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होंगे;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2015-2 दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान अवसंरचना विकास उपकर नियम, 2015 विरचित किये गये हैं; एवं
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2015-3 दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 की धारा-56 के अन्तर्गत माल, व्यवहारियों एवं उनके द्वारा देय उपकर की दर का निर्धारण किया गया है।

### 3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य, विधान सभा, प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा रोगों का उपचार किये जाने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा, राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी नागरिकों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. विधायी कार्य

(अ) पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-  
कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-24)  
"कारागार अधिनियम, 1894 को राजस्थान राज्य में उसके लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

**(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक**

**(I) राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015**

- (I) डॉ० रामप्रताप, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

"नदियों को, उनके आधिक्य से अभावग्रस्त बेसिनों और उप- बेसिनों से जोड़ने, अन्तःबेसिन जल अंतरण को सम्मिलित करते हुए भूगर्भ और सतह जल के अधिकतम और पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने, राज्य स्तरीय जल संसाधन योजनाओं को विकसित करने, बेसिनों, उप-बेसिनों, एक्वीफरों और वाटरशैडों के अन्तर्गत आने वाले समस्त वाटरशैडों, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की योजना द्वारा पोषणीय आधार पर नदी बेसिनों और उप-बेसिनों के प्रबन्धन और विकास के लिये एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन पहुंच को अंगीकृत करने और राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद तथा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण की स्थापना करने के लिये और राजस्थान जल संसाधन विनियामक अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**(II) राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

"राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक"।

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

राजस्थान नदी बेसिन और  
जल संसाधन योजना विधेयक,  
2015  
(2015 का विधेयक संख्या-  
15)

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण  
निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-17)

**(III) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-
- राजस्थान नगरपालिका  
(संशोधन) विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-21)
- "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

पृथ्वी राज  
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,

जयपुर ।

दिनांक : 07 अप्रेल, 2015